

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 534 / 35-1, दिनांक: हाथरस: अगस्त: 16, 2022

सेवामें,

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

विषय:-

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं 0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं 0-08बी/यू 0पी 0/06/68/2022/एफ.सी./146 दिनांक 21.06.2022

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं 0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपपत्तियों का निम्नप्रकार निराकरण कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sl.No.	Observation	Reply
1	As per the Google earth, imageries dated 03.2022, existing structure of the petrol pump is observed in the proposed area diversion, this needs clarification.	प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध भा 0 व 0 अधि 0 1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच 0-2 केस संख्या-20 हाथरस/2022-23 इजरा कर मु 0 60000.00 का जुर्माना बसूल कर लिया गया है। (संलग्न:-1)
2	As per the PARIVESH portal CA land area is 0.069777 ha. (for 100 trees minimum requirement of the area is 0.09 ha. which is less than the actual CA area), but according to the KML file CA land area is 0.14 ha. Which is not matching, this needs rectification/ clarification	परिवेश पोर्टल पर क्षतिपूरक वनिकरण का क्षेत्रफल संशोधित कर दिया गया है। (संलग्न:-2)
3	The proposed CA land patch is completely overlapping with another project CA area, this needs rectification/ clarification.	क्षतिपूरक वनिकरण का स्थल परिवर्तित कर सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। (संलग्न:-3)
4	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 140 trees over an area of 0.14 ha. Accordingly, CA scheme and related documents shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal.	क्षतिपूरक वनिकरण स्कीम एवं सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर संलग्न है। (संलग्न:-4)
5	An undertaking needs to be submitted that no felling shall be carried out in the execution of said project without prior approval of Hon' ble Supreme Court.	इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्नक है। (संलग्न:-5)

भवदीय,



(डा 0 चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 534 / 35-1 दिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पो 0 लि 0, 65/2 संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(डा 0 चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।